कांग्रेस पार्टी का
घोषणा पत्र

उत्तर प्रदेश
2012 विधान सभा चुनाव

विषय–सूची

क.	बदलाव का समय : नव उत्तर प्रदेश का समय – न्याय, अधिकार, विकास	1
ख.	बसपा सरकार की पूर्ण विफलता	3
ग.	कांग्रेस ही क्यों?	7
घ.	उत्तर प्रदेश के लोगों के लिये कांग्रेस पार्टी की प्रतिबद्धता	8
I.	भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन	9
	1. कानून–व्यवस्था	
	2. भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन	
	3. न्याय एवं कानून	
	4. पंचायतें एवं ग्राम सभाएं	
II.	नागरिक सशक्तिकरण	12
	5. शिक्षा	
	6. स्वास्थ्य	
	7. रोजगार	
	8. खाद्य सुरक्षा	
	9. महिला	
	10. अनुसूचित जाति एवं जनजाति	
	11. अति पिछड़ा वर्ग	
	12. वरिष्ठ नागरिक, विधवा एवं विकलांगों हेतु	
	13. अल्पसंख्यक	
	14. युवा	
	15. सामाजिक न्याय	
	16. सामाजिक सद्भाव	
III.	उत्पादक अर्थव्यवस्था एवं प्रभावशाली आधारभूत संरचना	21
	17. बिजली	
	18. सड़क	
	19. अन्य आधारभूत संरचना	
	20. कृषि	
	21. उद्योग	
	22. ग्रामीण एवं शहरी विकास	
	23. पर्यावरण और जल	
	24. व्यापार एवं वाणिज्य	
IV.	अन्य मुद्दे	27
	25. छोटे राज्य	
	26. घोषणा–पत्र लागू करने हेतु विशेष प्रकोष्ठ	

क. बदलाव का समय : नव उत्तर प्रदेश का समय – न्याय, अधिकार, विकास

- उत्तर प्रदेश के लोगों को ऐसे राज्य का अधिकार है, जहां वे स्वस्थ जीवन में शांति, समृद्धि, सद्भाव, और सुरक्षा के साथ जी सकते हैं।
- उत्तर प्रदेश के लोगों को अपनी आकांक्षाओं को वास्तविकता में बदलने और आर्थिक तथा सामाजिक रूप से उन्नति करने के लिए अवसर का अधिकार है।
- उत्तर प्रदेश के लोगों को हिंसा और अपराध से सुरक्षा का अधिकार है, ऐसा राज्य जहां महिलाएं और बच्चे भय से मुक्त रहें।
- उत्तर प्रदेश के लोग, और विशेष रूप से यहां के युवा, उच्च शिक्षा और प्रशिक्षण के लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं, ताकि वे दुनिया के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें।
- उत्तर प्रदेश के लोगों को आर्थिक क्रांति में भाग लेने और भारत के विकास की यात्रा में अपना योगदान देने का अधिकार है।
- उत्तर प्रदेश के लोगों को हक है ऐसे राज्य का, जहां लोग अपनी संस्कृति को दबाव और घुटन की बजाय संवारकर कामयाब बना सकें।
- उत्तर प्रदेश के लोगों को अपने देश के विकास के लाभ को मूकदर्शक के रूप में देखने के लिए मजबूर होने की बजाय उसे प्राप्त करने का अधिकार है।

उत्तर प्रदेश के लोगों को एक नयी, अलग और बेहतर सरकार का हक है

उत्तर प्रदेश के लोगों को अब मौजूदा शासन के बंधन और बोझ दूर हटा देना चाहिए

उत्तर प्रदेश के लोगों को भ्रष्टाचार और उत्पीड़न की राजनीति को निर्णायक रूप से अस्वीकृत करना चाहिए

2020 के लिये दृष्टि : नव उत्तर प्रदेश

कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश को उसका सही स्थान दोबारा प्रदान करेगी। एक ऐसे गौरवशाली उत्तर प्रदेश का निर्माण करेगी जो एक बार फिर पूरे देश को रास्ता दिखायेगा।

न्याय

- ऐसा उत्तर प्रदेश जहां सुशासन बहाल हो और भ्रष्टाचार का सफाया हो।
- ऐसा उत्तर प्रदेश, जहां हर कोई खुद को सुरक्षित महसूस करे और कमजोर वर्गों पर अत्याचार बंद हो।

अधिकार

- ऐसा उत्तर प्रदेश जहाँ गरीबों, युवाओं, महिलाओं, दलितों, अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जनजातियों की ऊर्जा क्षमता उभर सके।
- ऐसा उत्तर प्रदेश, जहां प्रत्येक नागरिक को गुणात्मक शिक्षा सरलता से प्राप्त हो और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों।
- ऐसा उत्तर प्रदेश, जहां हर किसान के पास सुरक्षित आजीविका हो और भारतीय कृषि और दुग्ध क्षेत्र में उत्तर प्रदेश अग्रणी हो।

विकास

- ऐसा उत्तर प्रदेश, जहां युवाओं को रोजगार के असीम अवसर मिलें और कोई रोजगार की तलाश में राज्य छोड़ने को मजबूर न हो।
- उत्तर प्रदेश के जीवंत शहर और कस्बे उद्योग, वाणिज्य और आर्थिक विकास का केन्द्र बनें।
- उत्तर प्रदेश में विश्वस्तरीय बुनियादी सुविधाएं हों, जहां हर गांव सड़क और सार्वजनिक परिवहन के साधनों से जुड़े हों तथा बिजली, पानी सभी के लिए उपलब्ध हो।

ख. बसपा सरकार की पूर्ण विफलता

कांग्रेस पार्टी का मानना है कि **बसपा सरकार सभी मोर्चों पर असफल** साबित हुई है।

निवर्तमान राज्य सरकार ने सुनियोजित ढंग से राज्य के संसाधनों का दुरुपयोग किया और उससे अपने लोगों का व्यक्तिगत संवर्धन सुनिश्चित किया, जिन्होंने शासन को स्वार्थसिद्धि का साधन बना लिया।

भ्रष्टाचार अपने चरम पर :

- उत्तर प्रदेश राज्य घोटालों के झटकों से हिल गया। केन्द्रीय योजनाओं पर अमल लूट में परिवर्तित हो गया।
- ग्रामीण गरीबों के स्वास्थ्य के प्रावधान के लिए 5,000 करोड़ रुपए राज्य सरकार द्वारा बेईमानी से खर्च कर दिये गये।
    - न्यायालय के निर्देश पर सीबीआई राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में हुई अनियमितताओं की जांच कर रही है।
    - भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कार्यान्वयन में, जो 5,000 करोड़ रुपए के महाघोटाले तक पहुंच गया है, बसपा सरकार और मुख्यमंत्री पर स्पष्ट आरोप लगाते हुए राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट पेश की है।
- केन्द्र सरकार की विशिष्ट योजना महात्मा गांधी नरेगा योजना के कार्यान्वयन में बलरामपुर, गोंडा, महोबा, सोनभद्र, संत कबीर नगर, मिर्जापुर और कुशीनगर जिलों सहित उत्तर प्रदेश भर में घोटाले पाये गये हैं।
    - मुख्यमंत्री का घोटालों की सीबीआई जांच कराने की मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाना स्पष्ट रूप से राज्य सरकार द्वारा की गयी लूट को छिपाना साबित करता है।
- इसी प्रकार केन्द्र द्वारा अनुदानित लगभग अन्य सभी योजनाओं के कार्यान्वयन में गंभीर अनियमितताएं पायी गयीं।
- मुख्यमंत्री के खिलाफ अभी भी भ्रष्टाचार के मामले अदालतों में लंबित।
- लोकायुक्त द्वारा राज्य के 31 मंत्रियों के खिलाफ जांच की गयी।
- साढ़े चार सालों तक भ्रष्टाचार करने की खुली छूट देने के बाद कुछ महीनों पहले 21 मंत्रियों से इस्तीफा ले लिया गया।
- विपक्ष के आवाज़ उठाने पर हिंसा और बर्बर तरीके से बल प्रयोग कर उसकी आवाज़ को दबा दिया गया :
    - दो मुख्य चिकित्सा अधिकारियों की हत्या कर दी गयी और एक उप–मुख्य चिकित्साधिकारी की संदेहास्पद परिस्थितियों में मृत्यु हो गयी, जब वह राज्य सरकार की अभिरक्षा में थे।
    - एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने जब राज्य में व्यापक भ्रष्टाचार के संबंध में मुख्यमंत्री पर आरोप लगाये तो उसके साथ हाथापाई कर जबरन उसे पागलखाने में फेंक दिया गया।

कानून और व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह ध्वस्त :

- दुस्साहसिक और अत्यधिक बर्बर ढंग से हुई हत्याएं।
- पुलिस थाने कमज़ोर वर्गों की पहुंच से दूर हुए।
- राज्य में डकैती, हत्या और अपहरण के मामलों में वृद्धि।
- अधिकांशतः दलितों और पिछड़े वर्गों के लोग ही शिकार हुए।

बड़े पैमाने पर अपराध, खासकर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ :

- महिलाओं और बच्चों के साथ बलात्कार और हत्या के मामलों में वृद्धि।
- शर्मनाक ढंग से, कुछ अभियुक्त सत्ताधारी दल के सदस्य हैं।
- स्थानीय अधिकारियों द्वारा सबूत छिपाने का प्रयास किया गया।
- कन्या शिशु हत्या की दर में चिंताजनक वृद्धि।
- 1000 पुरुषों के सापेक्ष सिर्फ 910 महिलाओं का लिंग अनुपात चिंताजनक है।

जबरन भूमि अधिग्रहण :

- राज्य सरकार निजी विकासकर्ताओं के लाभ के लिए गरीब किसानों की भूमि के विशाल भूखंडों का जबरन अधिग्रहण किया।
- आजीविका पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में सोचे बिना और गरीब किसानों को सुनवाई का कोई मौका न देकर उनकी जमीनें छीन ली गयीं।
- सिर्फ भूमिधरों की आजीविका पर ही विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि जमीन पर काम करने वालों पर भी प्रतिकूल प्रभाव हुआ।
- मुआवजे के नाम पर नाम मात्र का भुगतान किया गया और जमीनों को कई गुना अधिक दामों पर फिर से बेच दिया गया।

जनता के धन का भारी दुरूपयोग :

- महाघोटालों के अलावा, यहां लगभग हर योजना में सार्वजनिक धन का खासा दुरुपयोग किया गया – यह स्पष्ट है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए भेजे गए पैसे सरकार के भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के कारण लोगों तक नहीं पहुँच रहे।
- नवम्बर, 2009 में भारत सरकार द्वारा बुंदेलखंड के विकास के लिए 7000 हजार करोड़ रुपये का पैकेज घोषित किया था। हालांकि, यह राज्य सरकार के भ्रष्टाचार से नष्ट हो गया और राज्य सरकार द्वारा केवल 20 से 25 प्रतिशत धनराशि का ही उपयोग किया गया।
- 2500 करोड़ रुपए से अधिक जरुरतमंद स्कूलों और अस्पतालों पर खर्च करने की बजाय पार्कों और स्मारकों पर खर्च कर दिया गया।
- मुख्यमंत्री सहित सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्यों की विशाल मूर्तियों और उनके प्रतीक चिन्हों के लिए रास्ता बनाने के लिए हजारों पेड़ों को जड़ से उखाड़ दिया गया।

किसानों को हर मोर्चे पर धोखा दिया गया और सहकारी चीनी मिलों को औने–पौने दामों पर बेच दिया गया :

- सरकारी और सहकारी चीनी मिलों को **औने–पौने दामों पर** निजी लोगों को बेच दिया गया।
- उर्वरक वितरण राज्य में सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ताओं द्वारा नियंत्रित माफियाओं के हाथ में चला गया और किसानों को उर्वरकों के लिए अत्यधिक कीमतों का भुगतान करने को कहा गया।

आधारभूत संरचना विशेष रूप से बिजली और सड़क अविश्वसनीय ढंग से खराब :

- एक दिन में 20 घंटे तक बिजली कटौती के साथ राज्य में बिजली की स्थिति बहुत निराशाजनक है। परिणामस्वरूप आम नागरिक पीड़ित है, कृषि संकट में और उद्योगों का राज्य से पलायन हो रहा है।
- बिजली उत्पादन को बढ़ाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया।
- राज्य में 500 से 2000 मेगावाट बिजली की कमी उत्पन्न हो गई है।
- राज्य के लिए 11 वीं पंचवर्षीय योजना में योजना परिव्यय में लगभग तीन गुना वृद्धि के बावजूद यह स्थिति है।
- सड़कें पूरी तरह से बदहाल स्थिति में हैं – **सड़क कम, गढ्ढे ज्यादा**। ज्यादातर मामलों में सड़कों का निर्माण केवल राज्य सरकार की फाइलों में हुआ है, जबकि जमीनी स्तर पर कोई सड़क नहीं बनी।

आजीविका और रोजगार छीना गया :

- बेरोजगारी अपने चरम पर पहुँच चुकी है। बेरोजगार युवाओं को उत्तर प्रदेश से बाहर रोजगार ढूंढने के लिये जाने पर मजबूर कर दिया गया।
- भारी तादाद में शिक्षकों, डॉक्टरों, नर्सों और अन्य सरकारी सेवकों की कमी के बावजूद लाखों सरकारी नौकरियां जो उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को प्रदान की जा सकती थीं, रिक्त पड़ी हुई हैं।
- राज्य सूचना प्रौद्योगिकी और सेवा क्षेत्रों के विकास को भुनाने में विफल रहा है, जैसा पड़ोसी राज्यों में किया गया है।
- हथकरघा क्षेत्र से जुड़े हजारों बुनकर संकट में हैं। बत्तीस कताई मिलों को बंद कर दिया गया, जिससे बुनकरों को कच्चे धागे उपलब्ध नहीं हो पा रहे।

अस्वच्छता के कारण हो रही मौतें :

- पांच साल बाद भी वर्तमान सरकार द्वारा मूलभूत सुविधाएं प्रदान नहीं की गयी।
- उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जापानी इन्सेफेलाइटिस बीमारी के चलते 400 से भी ज्यादा नौनिहालों ने अपना जीवन खो दिया।
- यह राज्य द्वारा मूलभूत जल एवं स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा रोगों के संचरण को रोकने के लिये समय से टीकाकरण सुनिश्चित करने में पूर्ण विफलता के कारण हुआ।

यूपीए की केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को लगातार प्राथमिकता दिये जाने के बावजूद बसपा सरकार विफल

- उत्तर प्रदेश ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत आवंटित धन का केवल 65.3 प्रतिशत ही खर्च किया। यह पिछले साल राज्य श्रेणी क्रम में फिसलकर 12वीं पायदान पर पहुंच गया।

- केंद्र के द्वारा इंदिरा आवास योजना के माध्यम से आवंटित धन, जो गरीबों को किफायती आवास प्रदान किये जाने के लिये था, को पूरी तरह उपयोग करने में राज्य विफल रहा है। निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले पूर्ण निर्मित आवासों का प्रतिशत भी गिर गया।

- स्वास्थ्य मंत्रालय की एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस) के तहत होने वाला व्यय वर्ष 2010–11 के दौरान 57.7 प्रतिशत से नीचे पहुंचा।

- सर्व शिक्षा अभियान में पिछले वर्ष के दौरान उपयोग धन के प्रतिशत के मामले में राज्य 12 नंबर पर था।

- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), जो कृषि मंत्रालय द्वारा संचालित है एवं चावल, गेहूं और दालों के उत्पादन में वृद्धि के लिये है, में राज्य द्वारा निधियों के उपयोग में पिछले 2 साल में 31.7 प्रतिशत की गिरावट आयी है।

- उत्तर प्रदेश के कर्ज का बोझ लगभग दो लाख करोड़ रुपए के निशान को छू चुका है। कर्ज में सिर्फ एक साल में रु.17012 करोड़ की बढ़ोत्तरी हुई है।

ग. इस बार कांग्रेस ही क्यों?

कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है जो उत्तर प्रदेश को एक मजबूत, स्वच्छ, जवाबदेह, पारदर्शी, उत्तरदायी और प्रभावी सरकार प्रदान कर सकती है;

कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो वास्तव में उत्तर प्रदेश के लोगों की सुरक्षा और भयमुक्ति की गारंटी दे सकती है;

कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो गहराई से सभी नागरिकों और विशेष रूप से कमजोर वर्गों के लिए सुरक्षा, गुणात्मक शिक्षा, सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल और रोजगार गारंटी प्रदान करने के लिये प्रतिबद्ध है;

कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो सभी के लिए है और सभी जातियों, मत और धर्मों का प्रतिनिधित्व करती है;

कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो केंद्र सरकार के नजरिये को उत्तर प्रदेश में साकार कर सकती है;

कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो यह सुनिश्चित कर सकती है कि केंद्र में एक मजबूत सरकार द्वारा प्रदान किये जाने वाली सहायता और समर्थन का सम्पूर्ण लाभ उत्तर प्रदेश को मिले;

कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो उत्तर प्रदेश के लोगों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए प्रतिबद्ध है;

कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश के साथ अत्यन्त करीबी, निजी इतिहास रहा है।

यदि उत्तर प्रदेश के लोग अपना भरोसा और विश्वास कांग्रेस और उसकी दृष्टि में जताते हैं, तो पार्टी उनकी सेवा और उनके हितों के लिये गंभीरता और सभी के लिए न्याय की भावना से सर्वश्रेष्ठ कार्य करेगी।

घ. उत्तर प्रदेश के लोगों के लिये कांग्रेस पार्टी की प्रतिबद्धता

I. भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन

1. कानून–व्यवस्था
2. भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन
3. न्याय एवं कानून
4. पंचायतें एवं ग्राम सभाएं

II. नागरिक सशक्तिकरण

5. शिक्षा
6. स्वास्थ्य
7. रोजगार
8. खाद्य सुरक्षा
9. महिला
10. अनुसूचित जाति एवं जनजाति
11. अति पिछड़ा वर्ग
12. वरिष्ठ नागरिक, विधवा एवं विकलांगों हेतु
13. अल्पसंख्यक
14. युवा
15. सामाजिक न्याय
16. सामाजिक सद्भाव

III. उत्पादक अर्थव्यवस्था एवं प्रभावशाली आधारभूत संरचना

17. बिजली
18. सड़क
19. अन्य आधारभूत संरचना
20. कृषि
21. उद्योग
22. ग्रामीण एवं शहरी विकास
23. पर्यावरण और जल
24. व्यापार एवं वाणिज्य

IV. अन्य मुद्दे

25. छोटे राज्य
26. घोषणा–पत्र लागू करने हेतु विशेष प्रकोष्ठ

I. भ्रष्टाचारमुक्त सुशासन

(1) कानून–व्यवस्था

हम अराजकता के शासनकाल का खात्मा करेंगे, जिससे राज्य पिछले 22 वर्षों से पीड़ित रहा है और उत्तर प्रदेश के प्रत्येक और हर निवासी के लिए अधिकतम सुरक्षा की गारंटी प्रदान करेंगे।

हम करेंगे :

(क) पुलिस स्टेशनों को हर नागरिक के लिए सुलभ बनाना और पुलिस स्टेशनों में सूचना पटल के साथ संवेदनशील पुलिसिंग सुनिश्चित करना।

(ख) हर जिले में कम से कम एक महिला पुलिस स्टेशन को सुनिश्चित करना और हर समय, हर पुलिस स्टेशन में कम से कम एक महिला अधिकारी की मौजूदगी सुनिश्चित करना।

(ग) राज्य में **व्यापक पुलिस सुधार** करना जिनमें शामिल होंगे :

- पुलिस सेवा में पारदर्शी भर्ती जिससे केवल सर्वश्रेष्ठ, राज्य की विविधता के साथ संगत, राज्य के नागरिकों की रक्षा करने के लिए चयनित हों।
- राज्य भर में व्यवस्था नियंत्रण के लिये नागरिक पुलिस भागीदारी मॉडल।
- पुलिस अधिकारियों के कार्यकाल की सुरक्षा।
- नागरिकों के लिए जांच उपरान्त की शिकायतों के लिये शिकायत निवारण प्रक्रिया।

(घ) हथियार के विनियमन और **हथियार लाइसेंस के लिए एक पारदर्शी और तर्कसंगत प्रणाली** को लागू करना।

(ङ) नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम (पीसीआर अधिनियम) के तहत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार के मामलों की निष्पक्ष जांच और निगरानी सुनिश्चित करने के लिये राज्य स्तर पर एक विशेष प्रकोष्ठ की स्थापना।

(च) सीआरपीसी में संशोधन द्वारा **अग्रिम जमानत पुनर्स्थापन।**

(छ) समाज के कमजोर वर्गों की शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई; यदि आवश्यक हुआ तो, मौजूदा कानूनों, जैसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 155, में संशोधन किया जायेगा।

(ज) **आपराधिक चोट मुआवजा बोर्ड** स्थापित करना जिसका उद्देश्य अपराध पीड़ितों के लिए मानकीकृत/नियम आधारित मुआवजा प्रदान करना होगा।

(झ) संघर्ष की परिस्थितियों में सक्रिय मध्यस्थता, शीघ्र शांति और सद्भाव की बहाली सुनिश्चित करने के लिये **चौकस नागरिक समूह** गठित करेंगे। नागरिक पुलिस अधिकारियों की पर्याप्त संख्या में नियुक्ति।

(ञ) **किशोर न्याय प्रणाली का पुनर्गठन** और राज्य भर में सरकार द्वारा संचालित बाल सुधार घरों का उन्नयन।

(ट) **जेल सुधार** के लिए एक व्यापक योजना का विकास करना। उन विचाराधीन बंदियों को रिहा करना जो न्यूनतम कारावास की सजा काट चुके हैं ।

(ठ) एक तर्कसंगत दंड नीति का विकास और याचिका सौदेबाजी के विवेकपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहित करना।

(2) भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन

कुशासन और कुप्रशासन तथा भ्रष्टाचार के 20 साल बाद कांग्रेस उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त, स्वच्छ, जवाबदेह और पारदर्शी सरकार वापस लायेगी, जिसमें लोग विश्वास और भरोसा कर सकते हैं।

हम करेंगे :

(क) प्रभावी **भ्रष्टाचार विरोधी नीति** का विकास और उसे लागू करना।

(ख) इसके अलावा, **लोकायुक्त** की स्वतंत्रता और दक्षता बढ़ाना तथा मुख्यमंत्री को लोकायुक्त के अधीन लाना, जिससे कि यह वास्तव में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में एक शक्तिशाली संस्था बने।

(ग) प्रति वर्ष मुख्यमंत्री और राज्य सरकार के सभी मंत्रियों एवं उनके परिवार के सदस्यों की आमदनी और सम्पत्तियों के विवरण का प्रकाशन सुनिश्चित करना।

(घ) यह सुनिश्चित करना कि एक प्रभावी **नागरिक चार्टर**, सिर्फ नाम का नहीं काम में भी, सभी सरकारी विभागों में स्थापित हो। नागरिक चार्टर शिकायत निवारण तंत्र के बिना व्यर्थ है। इसलिए, हम हर स्तर पर एक **प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र** भी स्थापित करेंगे। इस उद्देश्य के लिए **राज्य शिकायत निवारण आयोग** स्थापित होगा।

(ङ) सभी लोक सेवकों, मंत्रियों, विधायकों और विधान परिषद् सदस्यों के लिये **आचार संहिता** की स्थापना, जिसकी कड़ाई से निगरानी सुनिश्चित की जायेगी, ताकि लोक सेवक सर्वोच्च नैतिक मानकों का पालन करें।

(च) यह सुनिश्चित करना कि **जिला पुनर्गठन आयोग** नियम आधारित निर्णय लेने का पालन करें; और

(छ) केंद्र में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् की तरह नागरिक समाज के साथ एक संस्थागत स्वरूप के लिये **राज्य सलाहकार परिषद्** का गठन, और उचित क्षेत्रों में सार्वजनिक – निजी भागीदारी को बढ़ावा देने का प्रयास।

(3) न्याय एवं कानून

हम करेंगे :

(क) राज्य भर में आम नागरिकों को त्वरित न्याय मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए न्याय पंचायत स्तर पर **ग्राम न्यायालयों** की स्थापना सुनिश्चित करना।

(ख) सभी न्यायालयों में **लम्बित/बकाया मामलों के निस्तारण के लिए एक समयबद्ध कार्ययोजना** शुरु करना। यह द्रुतगामी न्यायालयों की स्थापना द्वारा समर्थित होगी।

(ग) राज्य में सौर ऊर्जा बैकअप के साथ **सभी न्यायालयों में पूर्ण कम्प्यूटरीकरण** सुनिश्चित करना।

(घ) **कानूनी सहायता योजना** के कार्यान्वयन का पुनर्गठन करना, जिससे कि यह सुनिश्चित हो कि कमजोर वर्गों को इससे लाभ प्राप्त हो।

(ङ) उच्च न्यायालय में **दूरस्थ फाइलिंग** और सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ **ई–न्यायालयों** का शुभारम्भ।

(च) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की इलाहाबाद और लखनऊ बेंच के बीच क्षेत्राधिकार मुद्दों का स्पष्टीकरण सुनिश्चित करना।

(छ) राजीव गांधी **अधिवक्ता प्रशिक्षण योजना** का विस्तार सुनिश्चित करना और युवा अधिवक्ताओं के लिए समूह बीमा प्रदान करना।

(4) पंचायत और ग्राम सभा

हम करेंगे :

(क) पंचायत स्तर पर एक जन सेवा केन्द्र की स्थापना – जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जॉब कार्ड आदि समयबद्ध तरीके से प्रदान करने हेतु एकल खिड़की प्रणाली।

(ख) पंचायतों की सहायता के लिए **भारत निर्माण स्वयंसेवकों** और **सामाजिक कार्यकर्ता नेटवर्क** का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी परिवारों को उनका हक मिल रहा है, जिसके वे पात्र हैं।

(ग) **पंचायत चुनाव समय पर** और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष ढंग से आयोजित हों, यह सुनिश्चित करना।

(घ) यह सुनिश्चित करना कि हर स्तर पर पंचायत चुनावों में **महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण** ईमानदारी से कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ङ) **सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की निगरानी समितियों** में जिला और ब्लॉक स्तर पर निर्वाचित पंचायत पदाधिकारियों का पर्याप्त और न्यायसंगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना।

(च) उत्तर प्रदेश में **हर पंचायत तक ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी** की पहुंच सुनिश्चित करना।

(छ) सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र में **पंचायतों के लिए पंचवर्षीय कार्य योजना** का प्रकाशन सुनिश्चित करना।

(ज) ग्राम सभा और वार्ड सभाओं का सार्थक सशक्तिकरण सुनिश्चित करना।

(झ) ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत और जिला परिषदों को अधिक से अधिक अधिकार प्रदान करना।

II. नागरिक सशक्तिकरण

अधिकार सुनिश्चित करना और सही काम करना

(5) शिक्षा

हम करेंगे :

स्कूल शिक्षा पर

(क) **'हर घर में पढ़ाई'** सुनिश्चित करने के लिये हर गांव में एक स्कूल और हर 2500 परिवारों पर एक इंटरमीडिएट कॉलेज (इंटर कॉलेज) सुनिश्चित करना।

(ख) गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल), अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (विशेष रूप से अति पिछड़े वर्गों) के छात्रों के लिये आंध्र प्रदेश आवासीय स्कूल समिति के मॉडल पर आवासीय विद्यालय की शुरुआत करना। इन समुदायों के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान करना।

(ग) देश भर में 2500 मॉडल स्कूल स्थापित करने के लिए यूपीए सरकार की नीति के अंश के रूप में पांच सालों में पीपीपी स्वरूप के 500 नए मॉडल स्कूलों की शुरुआत करना।

(घ) नवोदय स्कूल मॉडल की तर्ज पर वंचितों छात्रों के लिए जिला स्तर पर कम से कम एक आधुनिक आवासीय स्कूल सुनिश्चित करना।

(ङ) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक बच्चों पर विशेष ध्यान देने के साथ सभी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को **मुफ्त कपड़े, जूते, और किताबें,** उपलब्ध कराना।

(च) विभिन्न शैक्षणिक पदों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को प्राथमिकता देते हुए एक लाख से ज्यादा रिक्तियों को भरना सुनिश्चित करेंगे।

(छ) **सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन** में सुधार, शिक्षण की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करना, स्कूल भवनों और शौचालयों में सुधार। **भ्रष्टाचार, जो बसपा सरकार में सर्व शिक्षा अभियान में बड़े पैमाने पर फैल चुका** है, उसे हर स्तर पर मिटाया जायेगा, जिससे कि एक–एक रुपया अकेले शिक्षा और सिर्फ शिक्षा पर खर्च किया जा सके।

(ज) शिक्षण को शानदार पेशा घोषित कर राज्य भर के सरकारी तथा निजी स्कूलों के उत्कृष्ट विद्यालय शिक्षकों के लिए वार्षिक **गुरु सम्मान पुरस्कार** की स्थापना। यह शिक्षक राज्य में सभी शिक्षकों के लिए आदर्श होंगे।

उच्च शिक्षा पर

हम करेंगे :

(क) यह सुनिश्चित करना कि किसी भी छात्रा अथवा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र को मान्यता प्राप्त कॉलेज/विश्वविद्यालय में दाखिला मिल गया हो तो उसे या तो **छात्रवृत्ति** या बिना किसी आनुषंगिक के **ब्याज मुक्त शिक्षा ऋण** उपलब्ध हो।

(ख) एक समान प्रबंधन संरचना उपलब्ध कराने और शिक्षा क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिये **निजी विश्वविद्यालय अधिनियम** में संशोधन।

(ग) राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में विशेष क्षेत्रों के लिए **उत्कृष्टता केन्द्र** स्थापित करना।

(घ) दूरदराज के क्षेत्रों में युवाओं के लिए गुणात्मक शिक्षा के लाभ प्राप्त कर सकना सुनिश्चित करने के लिये संवादात्मक उपग्रह विधा के माध्यम से स्कूलों और विश्वविद्यालयों में **दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम** शुरु करना।

(ङ) **लिंगदोह समिति** की सिफारिशों के अनुसार सभी विश्वविद्यालयों में 12 महीने के भीतर **विश्वविद्यालय चुनाव** कराना।

(च) राज्य भर में विशेष कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) केन्द्रों की स्थापना।

(6) स्वास्थ्य

हम करेंगे :

(क) यह सुनिश्चित करेंगे कि हर गांव में नजदीक ही चालू हालत में कार्यशील नागरिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी / सीएचसी) एक डॉक्टर के साथ उपलब्ध हों।

(ख) **हर जिले में हर जिला अस्पताल का उन्नयन** और रोगियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार हो, यह सुनिश्चित किया जायेगा।

(ग) हर नागरिक को आपात स्थिति के दौरान तत्काल इलाज और एम्बुलेंस तक पहुंच मिल सके, यह सुनिश्चित करने के लिए **राज्य में एंबुलेंस के व्यापक नेटवर्क** की शुरुआत। हम इन्हें उचित दामों पर उपलब्ध कराने के लिये ग्रामीण युवाओं को एंबुलेंस खरीदने और संचालित करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।

(घ) सभी **बीपीएल परिवारों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 1 वर्ष के भीतर उनके स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड** उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(ङ) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार, जो वर्तमान बसपा सरकार के कार्यकाल में बड़े पैमाने पर हुआ है, की पूर्ण और विस्तारपूर्वक **सीबीआई जांच** में मदद करना।

(च) सभी स्वास्थ्य योजनाओं का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिये राज्य स्तर पर **स्वास्थ्य लोकपाल** नियुक्त किया जायेगा।

(छ) राज्य भर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत आच्छादित नागरिकों के लिए मुफ्त जांच प्रयोगशालाओं की स्थापना।

(7) रोजगार

हम करेंगे :

(क) राज्य के गरीब युवाओं को रोजगारोन्मुखी कौशल प्रदान करने के लिए **उत्तर प्रदेश कौशल और रोजगार मिशन** की शुरुआत और उन्हें मिशन विधा द्वारा नियोक्ताओं से जोड़ना। अगले 5 वर्षों में इस मिशन के माध्यम से **20 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा और नौकरियों में रखा** जायेगा।

(ख) विभिन्न नीतियों के जरिये कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों में राज्य के युवाओं के लिए **पर्याप्त रोजगार सृजन** सुनिश्चित करने के लिये **मुख्यमंत्री कार्यालय के अधीन एक विशेष प्रकोष्ठ की स्थापना।**

(ग) हम उत्तर प्रदेश में आईटीआई और पॉलिटेक्निक प्रणाली में बीपीएल, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (विशेष रूप से अति पिछड़े वर्गों के) युवा पर विशेष ध्यान के साथ, प्रासंगिक तकनीकी कौशल प्रदान करने के लिये प्रतिष्ठित सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के संस्थानों के साथ साझेदारी के माध्यम से सुधार करेंगे।

(घ) अगले 12 महीनों के भीतर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सभी निवासियों को **मनरेगा जॉब कार्ड** मिले।

(ङ) उत्पादकता में सुधार के लिए अभिनव प्रस्तावों का मूल्यांकन, कार्यान्वयन और पुरस्कृत करने के लिए **राज्य रोजगार उत्पादकता परिषद्** की स्थापना सुनिश्चित करना, बेहतरीन श्रम संबंध और नौकरी से संतुष्टि पर नजर रखी जायेगी तथा इसमें सुधार लाया जायेगा।

(च) **मनरेगा** में कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार, जो वर्तमान बसपा सरकार के कार्यकाल में बड़े पैमाने पर हुआ है, उसकी पूर्ण और विस्तारपूर्वक **सीबीआई जांच** में मदद करना।

(8) खाद्य सुरक्षा

हम करेंगे :

(क) भूख और भुखमरी के खात्मे के लिये यूपीए सरकार द्वारा पेश नया खाद्य सुरक्षा विधेयक लागू करना और हर पात्र परिवार रियायती कीमतों पर अपना मासिक राशन प्राप्त करें, यह सुनिश्चित करना।

(ख) राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, का पुनर्गठन। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि अनाज बेईमान बिचौलियों द्वारा चोरी न हो पाये।

(ग) खाद्य सब्सिडी वास्तव में पात्र लाभार्थियों तक पहुँचे यह सुनिश्चित करने हेतु सबसे अच्छे मॉडल की पहचान करने के लिये हम प्रायोगिक परियोजनाओं को आरंभ करेंगे।

(घ) **मध्याह्न भोजन योजना के वितरण में सुधार,** यह सुनिश्चित करना कि स्कूल में हर बच्चे को पोषक तत्वों जैसे लौह तत्व एवं पेट के कीड़े मारने की गोलियों सहित गर्म और पका हुआ भोजन सप्ताह में प्रतिदिन मिले।

(ङ) पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से प्रत्येक गरीब परिवार की पहचान कर उसे राशन कार्ड की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

(9) महिला

हम करेंगे :

(क) यह सुनिश्चित करना कि अगले 5 वर्षों में गरीबी रेखा से नीचे की सभी ग्रामीण महिलाओं को **बैंक से जुड़े स्वयं सहायता समूह** का सदस्य बनाया जाये। हम भुगतान में विफल रहने वाले स्वयं सहायता समूहों के पुनर्वास और उन्हें ठीक करने के लिये एक प्रणाली की स्थापना करेंगे।

(ख) केन्द्रीय सरकार से आग्रह करेंगे कि ब्याज छूट के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूह के लिए 4 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर प्रदान करें।

(ग) महिला स्व–सहायता समूह, महिला संगठनों और महिला उद्यमियों को ऋण देने के लिए **राज्य महिला बैंक/कोष** की स्थापना।

(घ) पंचायत चुनाव में सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का ईमानदारी से कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।

(ङ) **कन्या सशक्तिकरण योजना** का आरम्भ, जिसमें जब कन्या शिशु का जन्म होगा, उसके नाम से सावधि जमा किया जायेगा, जिससे जब वह 18 वर्ष की होगी तब रू. 50,000/–, और यदि वह हाईस्कूल उत्तीर्ण करती है तो 1 लाख रूपया मिलेगा। यह सुविधा द्वितीय कन्या शिशु को भी लाभ प्रदान करेगी।

(च) सभी गांवों और शहरी क्षेत्रों में बच्चों का दुरुपयोग, घरेलू हिंसा और अन्य संबंधित मामलों में परिवारों के साथ सामना करने में मदद के लिए सामाजिक कार्यकर्ता नियुक्त किये जायेंगे।

(10) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति

हम करेंगे :

(क) अनुसूचित जातियों में सबसे दीन **अति–दलितों के लिए उप–कोटा** का अन्वेषण करेंगे ताकि उन्हें सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में और अधिक अवसर मिल सकें।

(ख) सभी ग्रामीण अनुसूचित जाति, जो भूमि विवादों और घर और संपत्ति से संबंधित उनके द्वारा या उनके खिलाफ निजी व्यक्तियों द्वारा दायर विवादों से संबंधित मामलों का सामना कर रहे हैं, के लिए **मुफ्त कानूनी सहायता** प्रदान करेंगे। उनके मामलों को राज्य विधिक सहायता प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क लड़ा जाएगा।

(ग) केंद्र सरकार की **अम्बेडकर आदर्श ग्राम योजना** का पूर्ण कार्यान्वयन, जिसे बसपा सरकार द्वारा पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। सभी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बस्तियों को न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं जैसे सुरक्षित पेयजल, आवास, बिजली, आंगनवाड़ी केन्द्रों और

बारहमासी सड़कों से आच्छादित करने और उन्हें आदर्श गांवों के रूप में विकसित के लिये कार्य करना।

(घ) पूरे उत्तर प्रदेश में लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए **दलित छात्रावास (दलित हॉस्टल)** का पुनर्निर्माण जो बसपा सरकार की पूर्ण उपेक्षा के चलते जीर्ण–शीर्ण हो चुके हैं। यह सुनिश्चित करेंगे कि उच्च गुणवत्तायुक्त दलित हॉस्टल उत्तर प्रदेश के हर जिले में उपलब्ध हों।

(ङ) एक आम प्रवेश परीक्षा के माध्यम से चयनित गरीब और कमजोर वर्गों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के होनहार बच्चों के लिए **उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले आवासीय स्कूल** उपलब्ध कराने के लिए **विशेष मिशन** की शुरुआत। यह विशेष मिशन शिक्षा प्रणाली में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों से बड़ी संख्या में शिक्षकों को लाने का भी काम करेगा।

(च) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के मेधावी स्कूल छात्रों को छात्रवृत्ति उपलब्ध करायेंगे। उच्च शिक्षा के लिये गरीब कमजोर वर्गों से संबंधित मेधावी छात्रों को मैट्रिक पश्चात छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी।

(छ) यह भी सुनिश्चित करेंगे कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसी भी छात्र, जिसने किसी भी मान्यताप्राप्त कॉलेज/विश्वविद्यालय में प्रवेश हासिल कर लिया है, को छात्रवृत्ति अथवा आनुषंगिक–रहित ब्याजमुक्त शिक्षा ऋण मिले।

(ज) उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में सामाजिक सद्भाव के लिए संत रविदास, संत शिव नारायण, संत वाल्मीकि, संत जगजीवन दास, संत दरिया साहब, निषाद राज गुहा जैसे दलित आदर्शों की स्मृति में **धार्मिक सांस्कृतिक केंद्रों** की स्थापना।

(झ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवार से संबंधित बेटी की शादी के समय मौजूदा राशि के अलावा, सरकार द्वारा 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता के रूप में दिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(ञ) इंजीनियरिंग और मेडिकल कालेजों में प्रवेश के लिए विशेष कोचिंग सुविधाओं की स्थापना सुनिश्चित करेंगे और आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, और अधीनस्थ सेवाओं के लिए विशेष कोचिंग सत्र प्रदान किया जायेगा।

(ट) अनुसूचित जातियों, जो भूमि और भवन के खरीद और पंजीकरण पर आयकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं, के लिये आंशिक या पूरी स्टांप शुल्क की प्रतिपूर्ति की संभावनाओं का अन्वेषण करेंगे।

(ठ) पंचायत से विधानसभा और लोकसभा स्तर तक अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध 9 अनुसूचित जनजातियों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए मामले की पैरवी। इसमें कोल, माझी, कोरवास, कुरौस, ढांगर, मछेरा, घासिया, बादी, गोंड़, पनीका और कोइरी शामिल हैं।

(ठ) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की जाने वाली खरीद में कम से कम 25 प्रतिशत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग (विशेष रूप से अति पिछड़ा वर्ग) और अल्पसंख्यक स्वामित्व वाले उद्यमों से हो, यह सुनिश्चित किया जायेगा। यह यूपीए की केन्द्र सरकार के 7000 करोड़ रुपये की अधिमानी खरीद नीति के अतिरिक्त होगी।

(11) अति पिछड़े वर्ग सहित अन्य पिछड़ा वर्ग

हम करेंगे :

(क) जनसंख्या के अनुरूप सरकारी नौकरियों, शैक्षिक संस्थानों और पंचायतों में और अधिक अवसर देने के लिये सबसे दीन **अति पिछड़े वर्गों के लिए उप कोटा** की शुरुआत।

(ख) अन्य पिछड़ा वर्ग (विशेष रूप से अति पिछड़ा वर्ग) का कोई भी छात्र, जिसने किसी भी मान्यताप्राप्त कॉलेज/विश्वविद्यालय में प्रवेश हासिल कर लिया है, को छात्रवृत्ति अथवा आनुषंगिक–रहित ब्याजमुक्त शिक्षा ऋण मिलना सुनिश्चित किया जायेगा।

(ग) अन्य पिछड़ा वर्ग (विशेष रूप से अति पिछड़ा वर्ग) के मेधावी स्कूल छात्रों को छात्रवृत्ति उपलब्ध करायेंगे और उन्हें सरकार द्वारा संचालित छात्रावासों में प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

(घ) उत्तर प्रदेश सरकार की अधिमानी खरीद नीति में अन्य पिछड़ा वर्ग (विशेष रूप से अति पिछड़ा वर्ग) के उद्यमों को शामिल किया जायेगा।

(ङ) राज्य सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग कोटा के तहत सभी रिक्तियों को भरना सुनिश्चित करने के लिये विशेष अभियान चलाया जायेगा।

(12) वरिष्ठ नागरिक, विधवा एवं विकलांगों हेतु

हम करेंगे :

(क) वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं (किसी भी उम्र की), और विकलांग व्यक्तियों के लिए **सार्वभौमिक पेंशन**।

(ख) प्रशासनिक मशीनरी का पुनर्गठन तथा उसे अधिक से अधिक धन उपलब्ध कराया जायेगा। ताकि बुजुर्ग, विधवाओं, और विकलांगों को बिना किसी असुविधा के उनकी पेंशन मिल सके।

(ग) विधवाओं, एकल महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों के लिए सरकारी नौकरियों में **तरजीही रोजगार** की नीति लायेंगे।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए

(क) प्रत्येक जिले में भूतपूर्व सैनिकों और महिलाओं के लिए बैठक की जगह के रूप में एक **सैनिक भवन की स्थापना।**

(ख) पूर्व सैनिकों और विधवाओं के सार्थक रोजगार के लिए नए अवसरों का सृजन करना।

(13) अल्पसंख्यक

हम करेंगे :

(क) कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने पहले ही देश भर में केन्द्रीय सरकार की नौकरियों, पीएसयू और शैक्षिक संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अंतर्गत सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े मुसलमानों के लिए 4.5 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी है – हम इसके पूर्ण और समय पर क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेंगे।

(ख) हमारा लक्ष्य राज्य सरकार के रोजगार और शैक्षिक संस्थानों में ओबीसी कोटे के भाग के रूप में उत्तर प्रदेश में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या के अनुरूप उप–कोटा/आरक्षण उपलब्ध कराने की ओर है।

(ग) अल्पसंख्यक शिक्षकों की भर्ती, छात्रवृत्ति, व्यावसायिक प्रशिक्षण और नये स्कूलों की स्थापना के माध्यम से **अल्पसंख्यक शिक्षा और कौशल विकास** की दिशा में बड़ा प्रयास किया गया है।

(घ) राज्य भर में **मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम** का कार्यान्वयन। मदरसा शिक्षकों के प्रशिक्षण और सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के समान उन्हें लाभ प्रदान किया जायेगा।

(ङ) अल्पसंख्यक समुदायों के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करेंगे और उन्हें सरकार द्वारा संचालित छात्रावासों में प्राथमिकता दी जायेगी।

(च) यह सुनिश्चित करेंगे कि अल्पसंख्यक उद्यमों को उत्तर प्रदेश सरकार **अधिमानी खरीद नीति** में शामिल किया जाये।

(छ) **उर्दू को दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में अधिसूचित** करने और इसे आगे बढ़ाने के लिए मदद दी जायेगी।

(ज) वक्फ अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण और वक्फ निगम के लिए अतिरिक्त धन प्रदान करना।

(झ) वक्फ संपत्तियों की वापसी के लिये विशेष कोष की शुरुआत।

(ञ) सहायता और पैरवी के जरिये सभी तरीके से कानूनी सहायता उपलब्ध कराकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (**एएमयू) के अल्पसंख्यक चरित्र** की रक्षा करना।

(ट) **बाबरी मस्जिद विवाद के न्यायसंगत समाधान** की पैरवी। सभी दलों को अदालतों के फैसले का पालन करना होगा। यदि बातचीत के जरिये समाधान किया जाता है, तो वह विवाद से संबंधित पक्षों के बीच होगा और इसकी कानूनी मंजूरी आवश्यक होगी।

(14) युवा

उत्तर प्रदेश के युवाओं को बेहतर पेशकश का हक है। उत्तर प्रदेश में कुशासन के 20 वर्षों में शैक्षिक बुनियादी ढांचा ढह चुका है और रोजगार के अवसर अस्तित्वहीन हैं। बड़ी संख्या में युवा राज्य से बाहर पलायन करने को मजबूर हैं। **हम यह सुनिश्चित करेंगे कि यह बदल जाये**। श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी ने पहले से ही उत्तर प्रदेश सहित देश के युवाओं के लिए राजनीति के दरवाजे खोल दिये हैं, जहां हजारों युवा स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव के माध्यम से निर्वाचित होकर अब युवा कांग्रेस के पदाधिकारी बनकर राज्य के लोगों की सेवा के लिए काम कर रहे हैं। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि **युवा हमारी सभी नीतियों और कार्यक्रमों के केंद्र बन जायें,** और शिक्षा के क्षेत्र में नई संभावनाओं तथा रोजगार सृजन के लिए भविष्य की ओर देखें।

हम करेंगे :

(क) राज्य के गरीब युवाओं को रोजगारोन्मुखी कौशल प्रदान करने के लिए **उत्तर प्रदेश कौशल और रोजगार मिशन** की शुरुआत और उन्हें मिशन विधा द्वारा नियोक्ताओं से जोड़ना। अगले 5 वर्षों में इस मिशन के माध्यम से **20 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा और नौकरियों में रखा** जायेगा।

(ख) **उच्च शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार** (**धारा 5** देखें)।

(ग) उत्तर प्रदेश में स्थानीय समुदायों की सेवा करने के लिये के कम से कम 50,000 युवा **भारत निर्माण स्वयंसेवक** के रूप में मानदेय पर नियुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा **यह** सुनिश्चित करेंगे कि सरकारी योजनाएं पात्र लाभार्थियों तक पहुँच रही हैं।

(घ) **लिंगदोह समिति** की सिफारिशों के अनुसार सभी विश्वविद्यालयों में 12 महीने के भीतर **विश्वविद्यालय चुनाव** कराना।

(ङ) नेहरू युवा केन्द्र के माध्यम से हर जिले में एक **वार्षिक युवा महोत्सव का आयोजन** करना।

(च) राज्य के प्रत्येक प्रखंड में प्रतिभाशाली युवाओं के लिए **विश्वस्तरीय खेल सुविधाओं** की स्थापना।

(15) सामाजिक न्याय

हम करेंगे :

(क) एक नए सर्वेक्षण के जरिए यह सुनिश्चित करेंगे कि उन सभी पात्र लोगों को गरीबी रेखा से नीचे की सूची में शामिल किया जाए, जो इस लाभ से अब तक वंचित हैं।

(ख) हर नागरिक के पास अपना बैंक खाता हो और उसकी ऋण तक आसान पहुंच हो यह सुनिश्चित करने और गरीबों को सूदखोरों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए 'सम्पूर्ण वित्तीय समावेशन' करना।

(ग) उत्तर प्रदेश के सभी बीपीएल परिवारों तक प्रभावी ढंग से यूपीए सरकार की इंदिरा आवास योजना पहुंचाने के लिये उसके कार्यान्वयन में तेजी लायेंगे।

(घ) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की जाने वाली खरीद में कम से कम 25 प्रतिशत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक स्वामित्व वाले उद्यमों से हो यह सुनिश्चित किया जायेगा। यह यूपीए की केन्द्र सरकार के 7000 करोड़ रुपये की अधिमानी खरीद नीति के अतिरिक्त होगी।

(ङ) हम **पारंपरिक हुनर और पेशों के आधुनिकीकरण और संरक्षण के लिये विशेष संस्थानों / मिशन की स्थापना** करेंगे

- जल प्रबंधन संस्थान
- बागवानी एवं पुष्पकृषि संस्थान
- पारंपरिक मंच कला संस्थान
- पशुपालन संस्थान
- काष्ठकला संस्थान
- धातु कला संस्थान
- बुनाई संस्थान
- सौंदर्य कला संस्थान

(च) अनुसूचित जाति/ जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यकों के लिए **उद्यमिता प्रोत्साहन कोष** की शुरुआत करेंगे।

(छ) कोई भी छात्रा अथवा बीपीएल, अल्पसंख्यक, एससी, एसटी, ओबीसी (विशेष रूप से अति पिछड़ा वर्ग) समुदाय का कोई भी छात्र, जिसने किसी भी मान्यताप्राप्त कॉलेज/विश्वविद्यालय में प्रवेश हासिल कर लिया है, को छात्रवृत्ति अथवा आनुषंगिक–रहित ब्याजमुक्त शिक्षा ऋण मिलना सुनिश्चित किया जायेगा।

(16) सामाजिक सद्भाव

हम करेंगे :

(क) हम हिंदू, सिख, मुसलिम, जैन, ईसाई, बौद्ध आदि धर्म के **धार्मिक स्थलों** के **विकास के लिए विशेष पैकेज** उपलब्ध करायेंगे।

(ख) उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में सामाजिक सद्भाव के लिए संत रविदास, संत शिव नारायण, संत वाल्मीकि, संत जगजीवन दास, संत दरिया साहब, निषाद राज गुहा जैसे दलित आदर्शों की स्मृति में **धार्मिक सांस्कृतिक केंद्रों** की स्थापना करेंगे।

(ग) आजादी आन्दोलन के नायकों विशेष रूप से दलित एवं अति पिछड़ा वर्ग के लोचन निषाद, समधन मल्लाह, उदा देवी पासी, महावीरी भंगिन पर शोध के लिये कोष की स्थापना की जायेगी।

(घ) सड़क और बुनियादी सुविधाओं के मामले में, खास तौर से कुशीनगर, वाराणसी गोरखपुर और श्रावस्ती जिलों में, **बौद्ध सर्किट** का त्वरित विकास सुनिश्चित करेंगे।

(ङ) हम उर्स जायरिनों और कांवड़ियों के लिए मौजूदा सड़कों के समानांतर **आस्था मार्ग और विश्राम स्थल** का निर्माण करेंगे।

(च) **प्रबुद्ध दीनी तालीम और वैदिक उपदेशों** के शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए विशेष प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।

(छ) धरोहर संपत्तियों और प्रकृति प्रदत्त संपदा को बचाने और इसके सही प्रबंधन के लिए **राज्य धरोहर ट्रस्ट** की स्थापना करेंगे।

(ज) संत कबीर नगर में संत कबीर के निर्वाण–स्थल को **सद्भावना वन** घोषित कर उसे विकसित करेंगे। संत कबीर के जीवन और उनके कार्य को हर स्तर के स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। सामाजिक सद्भाव के लिए 100 करोड़ रुपये की लागत से संत कबीर सद्भावना ट्रस्ट स्थापित किया जायेगा।

III. उत्पादक अर्थव्यवस्था एवं प्रभावशाली आधारभूत संरचना

(17) बिजली

हम करेंगे :

(क) खेती लिये अलग फीडर, ताकि किसानों को दिन के समय कम से कम आठ घंटे बिजली आपूर्ति की गारंटी हो सके।

(ख) संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सर्वोत्कृष्ट योजना राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के जरिए हम 2020 तक शत प्रतिशत ग्रामीण घरों तक बिजली संयोजन का प्रयास करेंगे।

(ग) उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले प्रत्येक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवारों के घरों में रोशनी पहुंचाने के लिये निःशुल्क मीटरयुक्त विद्युत संयोजन उपलब्ध करायेंगे।

(घ) वर्तमान निष्प्रभावी व्यवस्था में सुधार, पारेषण और वितरण हानियों को घटाने तथा नई सुविधाओं का निर्माण करने के लिये हम नई बिजली नीति लाएंगे।

(ङ) विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण सहित बिजली के सभी क्षेत्रों में निजी निवेश को निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के जरिये आकर्षित किया जायेगा, न कि भाई–भतीजावाद और भ्रष्ट तौर–तरीके से।

(च) राज्य में **अक्षय ऊर्जा को प्रोत्साहन** देने के लिए नई नीति का अनुसरण किया जायेगा ताकि बिजली उपलब्ध कराने के लिये पवन और सौर ऊर्जा जैसे स्वच्छ विकल्पों का इस्तेमाल किया जा सके और उत्तर प्रदेश में इस क्षेत्र में भी निवेश को प्रोत्साहित किया जा सके।

(18) सड़क

हम करेंगे :

(क) पांच सालों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत उत्तर प्रदेश के सभी गांवों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने के प्रयास किये जायेंगे।

(ख) सड़कों के ठेके में पारदर्शिता और काम की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी और जो ठेकेदार समय पर एवं अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कें बनाने में विफल होगा, उस पर कठोर अर्थदंड लगाया जायेगा।

(ग) प्रत्येक ब्लॉक को नियमित बस सेवा के जरिये जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिये राज्य बस नेटवर्क को उन्नत किया जायेगा।

(घ) विकास के लिये सार्वजनिक–निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल का अनुसरण किया जायेगा और रोड नेटवर्क विकसित करने के लिये सर्वोत्तम मॉडल का अनुसरण किया जायेगा।

(ङ) लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और इलाहाबाद को जोड़ने के लिये उत्तर प्रदेश में विश्वस्तरीय चतुर्भुज सड़क की स्थापना की जायेगी।

(च) मेरठ–दिल्ली राजमार्ग को विश्वस्तरीय राजमार्ग बनाया जाएगा और इसे 1857 की इंकलाब क्रांति को समर्पित किया जाएगा।

(छ) पूरे उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख शहरों और महानगरों में युद्ध स्तर पर सड़कें, जो वर्तमान में पूर्णतः बदहाल स्थिति में हैं; उनकी मरम्मत और उनके उन्नयन का प्रमुख कार्यक्रम शुरू किया जायेगा।

(19) अन्य आधारभूत संरचना

हम करेंगे :

(क) केंद्र सरकार से बुंदेलखंड पैकेज की तरह राज्य के **पिछड़े इलाकों के बुनियादी ढांचे के विकास** के लिये **विशेष पैकेज** की मांग की जाएगी।

(ख) उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए नए रोजगार उत्पन्न करने और नये बुनियादी ढांचे के निर्माण के क्रम में राजस्थान की तर्ज पर **उत्तर प्रदेश में विरासत पर्यटन** कार्यक्रम की शुरुआत की जायेगी।

(ग) हम विश्वस्तरीय परिवहन व्यवस्था तैयार करेंगे। इसके तहत सफल दिल्ली मेट्रो रेल की तर्ज पर लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, वाराणसी और इलाहाबाद में मेट्रो रेल सेवा प्रदान की जाएगी।

(घ) राज्य के सभी नागरिक हवाईअड्डों और हवाई पट्टियों को उन्नत किया जायेगा और 3 नये हरित हवाईअड्डे बनाए जाएंगे।

(20) कृषि

हम करेंगे :

खेती :

(क) राज्य सरकार द्वारा भुगतान किये जाने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य को संशोधित करेंगे, ताकि किसानों को अपने उत्पाद की सबसे अच्छी कीमत मिल सके।

(ख) अधिकाधिक किसान–सुलभ बनाने के लिये मंडी प्रणाली में सुधार। हम सरकारी खरीद प्रणाली को आधुनिक बनायेंगे, ताकि किसान फसल सीधे बेच सकें, बर्बादी घटे और उन्हें फसल की अधिक कीमत मिले; खास तौर पर आलू और गन्ना किसानों के लिए शीत भंडारण सुविधाएं और विश्वस्तरीय कृषि–प्रसंस्करण उद्योग विकसित करेंगे, जिससे किसानों लिए बाजार में नई संभावनाएं बढ़ें और फसल–बाद हानि के जोखिम से बचाव हो।

(ग) किसानों को आसानी से छह फीसदी ब्याज दर पर कर्ज मिलना सुनिश्चित कराएंगे। गरीबों के लिए 'पूर्ण वित्तीय समावेशन' नीति लायेंगे, जिसके जरिये वे बैंकों से बिना किसी आनुषंगिक प्रतिभूति के एसएचजी के माध्यम से लघु रोजगार जैसे दुग्ध, छोटे व्यवसाय आदि के लिये आसान ऋण प्राप्त कर सकें। यह सूदखोरों द्वारा गरीबों का शोषण किये जाने का निर्णायक अंत भी करेगा।.

(घ) किसानों को सही समय और कीमत पर रबी और खरीफ दोनों मौसमों में सही उर्वरक मिल सके, यह सुनिश्चित करने के लिये उर्वरक वितरण प्रणाली का पुनर्गठन करेंगे। उर्वरक वितरण में जिस तरह का भ्रष्टाचार मौजूदा सरकार के कार्यकाल में दिख रहा है, उसे हम दूर करेंगे।

(ङ) ड्रिप सिंचाई तकनीक तथा जल संरक्षण के जरिये दीर्घकालिक उपयोग के लिये **नई सिंचाई नीति** की शुरुआत की जाएगी, जिससे हर किसान की जल तक पहुंच सुनिश्चित हो सके।

(च) **चीनी और गन्ना नीति** में उत्पादन से लेकर वितरण तक के सभी पहलुओं का अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाएगा, ताकि किसानों, उद्योग, उपभोक्ताओं और सरकारी खजाने को लाभ प्राप्त हो सके। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि समिति की सिफारिशों को एक निश्चित समय सीमा में लागू किया जाये।

(छ) कृषि के प्रमुख क्षेत्रों में विकास को गति देने के मकसद से हम अलग से विशेष **'मिशन'** की शुरुआत करेंगे :

- हम **उत्तर प्रदेश दाल मिशन** की स्थापना करेंगे ताकि उत्तर प्रदेश को भारत में दाल उत्पादन का केंद्र बनाया जा सके।
- उत्तर प्रदेश को बागवानी का केन्द्र बनाने के मकसद से हम **उत्तर प्रदेश बागवानी मिशन** की शुरुआत करेंगे, जो किसानों की आमदनी में वृद्धि करेगा। इस हेतु किसानों और खास तौर पर छोटे किसानों को सम्यक विस्तार सुविधाएं, बीज और अनुदान जैसी सुविधाएं दी जाएंगी।
- निर्धारित कीमत पर बाजार में खाद्य तेलों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के मकसद से उत्तर प्रदेश **खाद्य तेल मिशन** की शुरुआत की जाएगी।

(ज) किसानों को पर्याप्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये सामान्य औद्योगिक ग्रिड में से **अलग कृषि ग्रिड** की व्यवस्था। खेती के लिए चलाए जाने वाले ट्यूबवेल के लिए आठ घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।

(झ) उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की आमदनी में बढ़ोत्तरी सुनिश्चित करने के मकसद से **उत्पादक कंपनियों, संविदा खेती और सहकारी समितियों के लिए नई नीति** लाई जाएगी।

(ञ) चावल और गेहूं तीव्रीकरण प्रणाली की तरह 'दीर्घकालिक कृषि' के नए तरीकों की शुरुआत और किसानों को अपनी मिट्टी में सुधार और खेतों से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए मदद करना।

(ट) कृषि ज्ञान केन्द्रों द्वारा **सामुदायिक रेडियो सेवा** की शुरुआत।

दुग्ध

(ठ) दुग्ध उत्पादों के मामले में उत्तर प्रदेश दुग्ध आधिक्य राज्य बने तथा छोटे व सीमांत किसानों की आमदनी बढ़े, इसके लिये **अमूल की तर्ज पर उत्तर प्रदेश दुग्ध मिशन** की शुरुआत करेंगे।

(ड) उत्तर प्रदेश भर में **संग्रह केंद्रों और शीत संयंत्रों** का व्यापक नेटवर्क स्थापित कर यह सुनिश्चित करना कि ग्रामीण परिवार राजस्थान, पंजाब और गुजरात की तरह हर रोज स्थानीय केंद्रों पर अतिरिक्त दूध को बेच सकें।

(ढ) हम 5 सालों में **उत्तर प्रदेश के 50 जिलों में दुग्ध संग्रह के लिए स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) मॉडल को पैमाना** बनायेंगे। एसएचजी मॉडल, पहले से ही उत्तर प्रदेश के रायबरेली और सुल्तानपुर जिलों में सफलतापूर्वक चल रहा है, हर दिन डेढ़ लाख लीटर दूध की खरीद में मदद कर रहा है, इन जिलों में गरीब ग्रामीण परिवारों के लिए 40 लाख रुपए की दैनिक आय का सृजन कर रहा है।

(21) औद्योगिक विकास

हम करेंगे :

(क) राज्य में सार्वजनिक और निजी निवेश के लिए सूक्ष्म, लघु और मझोले (एमएसएमई) उद्यमों पर विशेष ध्यान देते हुए **नई औद्योगिक नीति** की शुरुआत करेंगे।

- उद्यमियों को लालफीताशाही से मुक्ति और सभी छोटे कारोबारों के लिए एकल खिड़की मंजूरी प्रणाली की व्यवस्था।
- नई इकाईयों की स्थापना के लिये राजकोषीय प्रोत्साहन और कर राहत प्रदान की जायेगी।
- सरलीकृत कर पद्धति
- इन इकाइयों को उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों के कुशल, अर्ध–कुशल और अकुशल श्रमिकों से जोड़ा जाएगा।
- सरकारी खरीद में एमएसएमई इकाइयों को प्राथमिकता दी जाएगी।

(ख) नयी तकनीक का प्रवाह कर हम **पारंपरिक समूहों को बढ़ावा देने और नए समूहों की स्थापना** के माध्यम से उत्तर प्रदेश में औद्योगिक पुनरुद्धार करेंगे। उत्तर प्रदेश भर में **40 से अधिक समूहों** का निर्माण या आधुनिकीकरण किया जायेगा, जिनमें –

- आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, वाराणसी, संत रविदास नगर : हथकरघा बुनाई
- मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र : कालीन / गलीचा
- फर्रुखाबाद, एटा, आगरा : आलू प्रसंस्करण
- कुशीनगर, वाराणसी, गोरखपुर, श्रावस्ती : बौद्ध पर्यटन
- वाराणसी : एकीकृत पर्यटन एवं बुनाई
- उन्नाव, कानपुर, आगरा, हमीरपुर : चमड़ा, जूते
- फिरोजाबाद, चित्रकूट : कांच के बर्तन
- बुलंदशहर, आजमगढ़, गोरखपुर : मिट्टी के बर्तन
- बाराबंकी : पुदीना प्रसंस्करण
- फर्रुखाबाद, कन्नौज : छपाई एवं इत्र
- सहारनपुर : लकड़ी की नक्काशी
- मुरादाबाद, अलीगढ़ : पीतल एवं ताला
- आगरा : एकीकृत पर्यटन एवं पत्थर

- मलीहाबाद : बागवानी, उद्यानिकी (आम प्रसंस्करण)
- प्रतापगढ़ : कृषि प्रसंस्करण (आँवला)
- खीरी, बलरामपुर, शाहजहांपुर : चीनी उद्योग
- महोबा, ललितपुर : पान के पत्ते (पान), औषधीय जड़ी–बूटी
- अमेठी, रायबरेली : विमानन
- नये केंद्र : नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, गोरखपुर, झांसी, मेरठ, इलाहाबाद बरेली

(22) शहरी एवं ग्रामीण विकास

हम करेंगे:

(क) तीन सालों में राज्य के **सभी भू–अभिलेखों को कंप्यूटरीकृत** कर दिया जायेगा। इससे व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार में कमी और मुकदमेबाजी खत्म होगी तथा उत्तर प्रदेश के लोगों की पारदर्शी अधिकार मिल सकेंगे।

(ख) **स्टांप शुल्क घटाएंगे** ताकि जायदाद खरीदने पर आर्थिक बोझ घटे और संपत्तियों के लेनदेन में भ्रष्टाचार नियंत्रित हो।

(ग) बढ़ते शहरीकरण के बीच ग्रामीण भूमि क्षेत्र के संरक्षण के लिये क्षेत्रीय कानूनों सहित **देशीय एवं शहरी योजना के लिये नया विधान** बनायेंगे।

(घ) सब्जियों, गेहूं, चावल, दाल और अन्य उपयोगी वस्तुओं के लिए विशेष **'जन सहकारी दुकानें'** खोली जाएंगी, जहां ये वस्तुएं नियंत्रित और वाजिब कीमत पर आसानी से उपलब्ध होंगी।

(ङ) दिल्ली मेट्रो रेल के सफल मॉडल की तर्ज पर लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, वाराणसी और इलाहाबाद में मेट्रो रेल सेवा सहित विश्वस्तरीय सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं का निर्माण।

(च) ग्रामीण क्षेत्रों के प्रवासियों के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली संक्रमणकालीन आवासीय सुविधाओं का निर्माण।

(छ) कानपुर की सफल योजना की तर्ज पर हम उत्तर प्रदेश के हर प्रमुख शहर में मूर्त रूप में **प्रभावी कचरा प्रबंधन प्रणाली** सुनिश्चित करेंगे।

(ज) राष्ट्रीय विनिर्माण नीति और भूमि अधिग्रहण नीति के न्यायपूर्ण इस्तेमाल के जरिए हम औद्योगिक विकास के मामले में **क्षेत्रीय संतुलन** सुनिश्चित करेंगे।

(झ) **राज्य शहरी कला आयोग** की स्थापना कर शहरी विरासतों को बचाने का काम करेंगे।

(ञ) यह सुनिश्चित करेंगे कि **शहरी स्तर की जन सुविधाएं ग्रामीण इलाकों में** भी लोगों को मिल सकें।

(23) पर्यावरण और जल

हम करेंगे :

(क) मिशन स्वच्छ उत्तर प्रदेश शुरू करेंगे, जिसके माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के लिए कई प्रभावी नीतियाँ लागू की जायेंगी, जैसे वायु प्रदूषण नियंत्रण, प्लास्टिक के दुरूपयोग से निपटना, जूट के प्रयोग को प्रोत्साहन देना, आदि।

(ख) **नदियों की सफाई,** खास तौर पर गंगा (स्वच्छ गंगा अभियान), यमुना, गोमती, सरयू, घाघरा समेत दोआब क्षेत्र की नदियों की सफाई के काम को युद्धस्तर पर शुरू करेंगे।

(ग) पूरे उत्तर प्रदेश में **बाढ़ नियंत्रण और जल भराव** की समस्या से निपटने के लिये मिशन प्रणाली की तर्ज पर कार्य किया जायेगा।

(घ) बाढ़ संभावित क्षेत्रों के लिए विशेष बंदोबस्त (कानून, सड़क और पुल के विनिर्देश और रूपरेखा बनाकर) किए जाएंगे। साथ ही नदियों से जो पानी उद्योगों को मिलता है, उस पर उप–कर लगाकर **बाढ़ राहत कोष** बनाया जाएगा।

(ङ) सभी जल इकाइयों की सूची तैयार करेंगे। इसमें वे इकाइयां भी शामिल होंगी, जो बर्बाद हो गई हैं और इसके जरिए हम उन इकाइयों की बहाली, पुनर्वास और संरक्षण की योजना बनायेंगे।

(च) जिला/ब्लॉक स्तर पर जल संरक्षण के काम में लगे (जल मित्रों) और **जल इस्तेमाल करने वाले संगठनों** को प्रोत्साहित किया जाएगा।

(छ) राज्य में पुरानी सिंचाई प्रणाली को दुरुस्त करने और इसके आधुनिकीकरण का काम शुरु किया जाएगा।

(ज) जिन इलाकों में भूजल स्तर तेजी से गिर रहा है उन इलाकों में जल पुनर्भरण के लिए विशेष योजनाएं लागू की जाएंगी।

24) व्यापार एवं वाणिज्य

हम करेंगे :

(क) छोटे उद्यमियों को लालफीताशाही और अफसरशाही के चंगुल से मुक्ति दिलाने और उनकी सृजनात्मकता को नया आयाम देने के लिये नयी नीति का कार्यान्वयन।

(ख) उत्तर प्रदेश में लालफीताशाही का अड्डा बन चुकी व्यापार–कर व्यवस्था का पुनर्गठन।

(ग) जीएसटी लागू करने का समर्थन करेंगे, जिससे उत्तर प्रदेश के लघु उद्यमों के लिये कर व्यवस्था सरल, सुलभ और उत्पीड़न मुक्त हो।

(घ) राज्य में व्यापार और वाणिज्य को सुविधा प्रदान करने के मकसद से **'उत्तर प्रदेश व्यापार परिषद्'** की स्थापना की जायेगी।

(ङ) उत्तर प्रदेश के कर ढांचे को बेहतर समन्वित और तार्किक बनाने के उद्देश्य से यह सुनिश्चित करेंगे कि हर बजट के पहले कारोबारियों और उनके प्रतिनिधियों से प्रभावी संवाद स्थापित हो।

(घ) नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश का लंबा सीमा क्षेत्र जुड़ा हुआ है इसलिए उसके साथ व्यापारिक संबंधों को सुधारने और तर्कसंगत बनाने के साथ सीमा पार से अवैध व्यापार को रोकने और विधिसम्मत व्यापार और वाणिज्य को समृद्ध किया जायेगा।

IV. अन्य मुद्दे

(25) छोटे राज्यों का मुद्दा

बेहतर शासन और प्रभावी प्रशासनिक क्रियान्वयन के लिए छोटे राज्य वांछनीय हो सकते हैं, लेकिन नए राज्य के गठन अथवा वर्तमान राज्य में से राज्यों का निर्माण सदैव जटिल मुद्दा रहा है, जिसपर राज्य पुनर्गठन आयोग जैसी विशेष इकाई से निष्पक्ष ढंग से विचार–विमर्श किया जाना चाहिए।

इसलिए, यदि कांग्रेस उत्तर प्रदेश की सत्ता में आती है, तो वह केंद्र सरकार से **दूसरे राज्य पुनर्गठन आयोग के गठन** और इस मामले को देखने का आग्रह करेगी, ताकि इस मुद्दे का तार्किक हल निकल सके।

(26) घोषणापत्र के क्रियान्वयन के लिए विशेष प्रकोष्ठ

कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री कार्यालय के अधीन विशेष चुनाव घोषणा–पत्र क्रियान्वयन प्रकोष्ठ स्थापित करेगी और उत्तर प्रदेश की जनता के सामने अपनी सालाना रिपोर्ट पेश करेगी।

कांग्रेस पार्टी का
घोषणा पत्र

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी
उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी